न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 101 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. थानाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी साजियाली रूपजी कंठवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.आईदानराम पुत्र परखाराम जाति जाट
2.पदमाराम पुत्र पुरखराम जाति जाट निवासीयान साजियाली रूपजी कंठवाडा
3.विजयसिंह पुत्र सवाराम जाति खारवाल निवासी साजियाली रूपजी कंठवाला हाल नई कोलोनी पचपदरा
4.मांगीलाल पुत्र निम्बाराम जाति जाट
5.जयराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासीयान पांचो की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।
6.श्रीमती हिरा बेवा हरजीराम जाति जाट
7.गुमनराम पुत्र दलाराम जाति जाट
8.दीपाराम पुत्र दलाराम जाति जाट
9.वालाराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट
10.मानाराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट निवासीयान साजियाली रूपजी कंठवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व वाद संख्या 26/2011 बअनवान आईदानराम बनाम विजयसिंह निर्णय दिनांक 28.06.2018।

उपस्थिति

1. वकील श्री दुर्गेश दै. अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 28.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंटगण का संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा साजियाली रूपजी कंठवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 28 रकबा 15.07 बीघा, खसरा संख्या 32 रकबा 55.14

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बीघा, खसरा संख्या 84 रकबा 41.15 बीघा, खसरा संख्या 85 रकबा 07.17 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल खसरा 04 कुल रकबा 120.13 बीघा आई हुई है, उक्त सम्पूर्ण भूमि में अपीलांट का 1/16 हिस्सा कब्जा काश्त व खातेदारी है। उक्त विवादग्रस्त आराजी के बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में अपीलांट की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा तैयार कर कैम्प प्रभारी राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी राजाबेरी में निर्णय पारित किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी सांभरा में आई हुई है। अपीलांट की कब्जा काश्त की भूमि के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया एवं मौके पर लड़ाई झगड़ा–फसाद होने की पूर्ण संभावना हैं व रेस्पोडेंट संख्या 3 ता. 5 के द्वारा वर्तमान में अपीलांट को उनके कब्जे से बेदखल करने को पूर्ण आमादा हैं। सह खातेदारान् के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जाये तब भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विद्वान तहसीलदार ने इन अहम मुदों को अनदेखा कर भारी भूल की हैं। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में अपीलांट की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा तैयार कर कैम्प प्रभारी राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी राजाबेरी में निर्णय पारित किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी सांभरा में आई हुई है। अपीलांट की कब्जा काश्त की भूमि के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया एवं मौके पर लड़ाई झगड़ा–फंसाद होने की पूर्ण संभावना हैं व रेस्पोडेंट संख्या 3 ता. 5 के द्वारा वर्तमान में अपीलांट को उनके कब्जे से बेदखल करने को पूर्ण आमादा हैं। सह खातेदारान् के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जाये तब भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था विभाजन By Meets and Bound के सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर डिक्री किया गया है। एवं सभी पक्षकारों द्वारा अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि के बंटवारे पर सहमति जाहिर की है। अपीलांट द्वारा वाद को राजीनामे के आधार पर हुए निर्णय को खारिज करवा कर लंबा करने की नियत से अपील पेश की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय राजस्व कैम्प के पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी। दिनांक 22.08.2018 को अपीलांट को धमकी दी तब आलोच्य आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी होने पर दिनांक 23.08.2018 को नकले मांगी एवं दिनांक 23.08.2018 को नकले प्राप्त हुई। वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। वकील अपीलांट का कथन है कि जारी प्राथमिक डिक्री के क्रम में राजस्व अभियान कैम्प दिनांक 28.06.2018 को विभाजन एवं प्रस्तुत राजीनामा पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है न ही उपस्थिति है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा नहीं की है इसलिए विभाजन प्रस्ताव विधिसम्मत नहीं है। अपील की पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 01 व 02(पुरखाराम के पुत्र), प्रतिवादी संख्या 01 व 02 (सवाराम के पुत्र) प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 (दलाराम के पुत्र) के अलावा प्रतिवादी संख्या 06 व 07 है। उपस्थित सभी पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति/इकरार एवं राजीनामे की प्रस्तुति सहित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर बाकायदा हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानात लगाकर कैम्प में अपनी ओर से पेश किये न कि पटवारी द्वारा। प्रस्तुत राजीनामा प्रपत्र दिनांक 28.06.2018 एवं इसके संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

इकरार व प्रस्ताव नक्शा में कुल 4 हिस्से अंगीकार हुए है जिसमे क्रमांक 4 पर पदमा, आईदान पिता पुरखा, गुमनाराम, दीपाराम, थानाराम पिता दलाराम; बालाराम, मानाराम पिता डूंगराराम को संयुक्त रूप से 65.08 बीघा भूमि में सहखातेदार रखा गया है। इस प्रकार **थानाराम (अपीलांट) के संयुक्त रूप से सहखातेदार घोषित सभी खातेदारों के हस्ताक्षर राजीनामा व विभाजन प्रस्ताव नक्शे पर है जो उनकी स्वीकृति साबित करता है।** केवल थानाराम की उपस्थिति न होकर उसके हस्ताक्षर न होने से शेष के द्वारा किया गया इकरार एवं विभाजन अमान्य नही हो जाता है। थानाराम को कोई आपति है तो उसके साथ रखे सहखातेदारों से हो सकती है परन्तु इसके अलावा रखे गए सभी अन्य खातेदारों के इकरार एवं विभाजन प्रमाणित करने को अधिकार अकेले के पास नहीं है। उसके दो सगे भाईयो ने इस विभाजन को राजीनामा से स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में अकेले थानाराम की आपति का कोई अर्थ एवं महत्व नहीं रह जाता है विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन में भी यह युक्तियुक्त लगता है क्योकि अपीलांट थानाराम एवं इसके दो सगे भाईयों के साथ रखे गए अन्य सहखातेदारों को खसरा संख्या 28 मे से गुजरती सड़क के दोनों तरफ भूमि दी गई है साथ ही इस विभाजित संपूर्ण भाग में एक अन्य रिकार्डेड रास्ता भी उपलब्ध है। इस दृष्टि से विभाजन प्रस्ताव में भी कोई भेदभाव प्रतीत नही होता। हस्ताक्षरित राजीनामा के मद्देनजर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2011 बअनवान आईदानराम बनाम विजयसिंह वगैरा में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

28/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner